



(63)

रिव्हीजन प्रकरण क्र. .... / 2019  
प्रस्तुति दिनांक : ३० - ०१ - २०१९

माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के न्यायालय में  
कम्प इन्डौर

गायत्री परिवार संचालक ग्राम बिडवाल,  
तहसील बदनावर जिला धार तर्फ अध्यक्ष  
रमेशचन्द्र पिता हीरालाल लक्कड़ पाटीदार,  
आयु - 65 वर्ष, व्यवसाय - कृषि,  
निवासी ग्राम बिडवाल तहसील बदनावर जिला धार, — प्रार्थी

अग्राम - ०२५६/२०१७/६/८/अ४४४४

विरुद्ध

1. कैलाश पिता गंगाराम कुलमी,  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि,
2. रामनारायण पिता खेमराज कुलंबी,  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
3. उमाशंकर लक्ष्मीनारायण पिता हरिराम काढी  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
4. गिरधारीलाल पिता लालजी कुलंबी,  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि,
5. अशोक आशीष पिता सरदार कुलमी,  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
6. रामचन्द्र पिता वरदा चमार,  
उपरोक्त सभी विपक्षीगण क्र. 1 से 6  
सभी निवासी - ग्राम बिडवाल तहसील बदनावर  
जिला धार (म.प्र.) — विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959  
के तहत

यह कि, अधिनस्थ कार्यालय भू-अभिलेख धार जिला धार (म.प्र.) द्वारा  
क्रमांक /2104/सीमां/विविध/2018 दिनांक 10-10-2018 को प्रार्थी  
गायत्री परिवार संचालक बिडवाल तर्फ अध्यक्ष रमेशचन्द्र पिता हीरालाल

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पाठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/256/2019/धार/भूरा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-02-19	<p>आवेदक की ओर से श्री ओ०पी०शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। विचारोपरांत म०प्र०भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप सीमांकन आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 10px;"></span> <span style="font-size: 2em; margin-right: 10px;"></span> <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">अध्यक्ष</span> </div>	